


दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

होट्टू बनाम जयशंकर वर्मा

20/3/2025

पत्रावली पेशा हुई। प्राणी आदि. उप.) प्राणी आधिकार  
 द्वारा प्राणी पत्र उत्तरीकरण के उपरान्त से अप्रकाशित  
 की तलनी हेतु समन तलनाना प्रस्तुत नहीं किये गये  
 हैं, प्राणी आधिकार को न्यायार्थ में अंतिम अवसर  
 दिने जाने के उपरान्त ही प्राणी द्वारा अप्रकाशित की  
 तलनी हेतु समन तलनाने पेश नहीं किये जाने से  
 प्राणी द्वारा प्रस्तुत प्राणी पत्र अन्तर्गत धारा २१२  
 राजस्थान काबूतकारी अधिनियम को आदेश ७ नियम  
 ५ जाबत दीवानी के अन्तर्गत खारिज किया जाता  
 है। नियम से इजलास सुनाया गया। पत्रावली  
 फासल सुमार लोक दायील दफ्तर ही तथा  
 नम्बर से कम हो।

  
 20/3/2025

सहायक कलक्टर  
 भीलवाड़ा

५